



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 264 राँची, बुधवार,

11 जून, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

10 जून, 2025

संख्या-9/आरोप-राँची-54/2024- 1568(09)/रा.,--श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी (राजस्व), रातु, राँची को काण्ड सं०- A.C.B. Ranchi P.S. Case No.-04/2023 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा दिनांक- 10.11.2023 को हिरासत में लिये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-2562, दिनांक- 07.08.2024 द्वारा सर्वप्रथम दिनांक-10.11.2023 से दिनांक- 18.02.2024 (हिरासत की अवधि) तक के लिए निलंबित किया गया तथा पुनः न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात दिनांक-19.02.2024 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा निर्धारित किया गया ।

2. निलंबन अवधि एवं सन्निकट सेवानिवृत्ति को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(6) के तहत श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया जाता है ।
3. श्री कुमार निलंबन मुक्ति के पश्चात राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची (मुख्यालय) में योगदान करेंगे ।
4. श्री कुमार के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध विचाराधीन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची थाना कांड सं0-04/2023, दिनांक-10.11.2023 में पारित अंतिम न्यायादेश के फलाफल के आधार पर किया जायेगा ।

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
